FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुकाम दीगोद

.......................ललित.......................बनाम.......सरकार.......................

किस्म मुकदमा ....इजराय प्रा.प. .... नं. ....54/2023.......सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/8/23	इजराय प्रार्थी की ओर से एडवोकेट रघुवीर सिंह द्वारा पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार दीगोद को पालना हेतु पत्र जारी हो मिसल वास्ते पालना रिपोर्ट से दिनांक 1/12/23 को पेश हो [signature]	
1/12/23	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी / प्रतिवादी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी के राजकार्य में व्यस्त होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 31/07/25 को पेश हो।	
31/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। इजराय पालना प्राप्त हुई। जो शामिल फाईल की जाती है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से संख्या से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

डिकी मुकदमा

(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी -- हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

ललिता बाई पुत्री स्व0 भेरूलाल जाति बैरवा चमार निवासी खेडली सहरान हाल तोरण तहसील दीगोद

(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :– तहसीलदार दीगोद

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट</u>

मिसल नम्बर

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ हरबिन्दर डी.सिंह आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम खेडली सहरान तहसील दीगोद के ख0न0 53 की 0.61 है0, 100 की 4.11 है0, 107 की 1.47 है0, 149 की 0.08 है0 कुल किता 4 रकबा 6.27 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम ललता बाई पुत्री भैरूलाल के स्थान पर ललिता बाई उर्फ ललता बाई पुत्री भेरूलाल दर्ज जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है।तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक 28.7.23 को जारी किया गया

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद

असल से मिलान किया

फोटो प्रति प्रमाणित
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

तारीख दायरा

101.03.2023

तारीख फैसला
27.7.23

22

[पी]ठासीन अधिकारी – हरबिन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

ललिता बाई पुत्री स्व0 भेरूलाल जाति बैरवा चमार निवासी खेडली [स]हरान हाल तोरण तहसील दीगोद (वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रतिवादी[गण])

(मी)
3 ए)

वादीगण की ओर से – श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से :– तहसीलदार दीगोद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :–

वादनी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम खेडली सहरान तहसील दीगोद में वादनी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में निम्न खसरा नम्बरान की कुल 4 किता की 6.27 है0 भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादनी सहखातेदार दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न है।

खसरा नम्बर 53 की 0.61 है0
खसरा नम्बर 100 की 4.11 है0
खसरा नम्बर 107 की 1.47 है0
खसरा नम्बर 149 की 0.08 है0
कुल किता 4 रकबा 6.27 है0 भूमि

यह कि उपरोक्त भूमि वादनी के पिता प्रभुलाल व अन्य के नाम शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही थी। प्रभुलाल जी की मृत्यु के बाद उक्त भूमि में उनके वारिसान के नाम दर्ज हुई। सिजमें वादनी का नाम सहवन से ललता बाई दर्ज हो गया जो गलत है। यह कि वादनी का नाम ललिता बाई है। आधार कार्ड व बैंक पास बुक मे ललिता बाई दर्ज है तथा पंचायत प्रमाण पत्र में भी वादनी का नाम ललिता बाई दर्ज है।

यह कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम ललिता बाई के स्थान पर ललता बाई दर्ज कर दिया है जो गलत है जिसके कारण वादनी को भविष्य में काफी परेशानी होगी तथा ऋण आदि की सुविधा भी प्राप्त नही कर सकेगी। वर्तमान में भी वादनी को किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त नही हो रही है।

यह कि उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम ललता बाई के स्थान पर ललिता बाई दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सबंध में वादनी ने प्रतिवादी से कई मर्तबा निवेदन किया तथा अन्त मे दिनांक 27.12.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया और मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

फोटो प्रति प्रमाणित
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

असल से मिलान किया

दीगोद जिला कोटा (राज0)

अतः वादनी ने वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम खेडली सहरान तहसील ... ख0न0 53 की 0.61 है0, 100 की 4.11 है0, 107 की 1.47 है0, 149 की 0.08 है0 कुल किता 4 ... 6.27 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का ललता बाई के स्थान पर ललिता बाई दर्ज किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने की आज्ञा व डिकी पारित की जावे।

वादनी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में ग्राम खेडली सहरान तहसील दीगोद के ख0न0 53 की 0.61 है0, 100 की 4.11 है0, 107 की 1.47 है0, 149 की 0.08 है0 कुल किता 4 रकबा 6.27 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड मे वादनी का नाम ललता बाई पुत्री भैरूलाल के स्थान पर ललिता बाई पुत्री भेरूलाल दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गयी है। (सी) 3 ए)

वादनी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादनी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादनी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम खेडली सहरान तहसील दीगोद के ख0न0 53 की 0.61 है0, 100 की 4.11 है0 107 की 1.47 है0 149 की 0.08 है0 कुल किता 4 रकबा 6.27 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादनी का नाम ललता बाई पुत्री भैरूलाल के स्थान पर ललिता बाई उर्फ ललता बाई पुत्री भेरूलाल किये व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिकी जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.7.23 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
सहायक कलक्टर
दीगोद

नकल से मिलान किया

पढ़ा   सुना

फोटो प्रति प्रमाणित
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी